

**IN THE COURT OF THE DIVISIONAL COMMISSIONER, PURNEA.****Land Dispute Appeal No.- 296/2013**

Md. Suleman ..... Appellant.

Versus

Md. Muslim &amp; Ors ..... Respondents

Serial No.	Date of order of proceeding.	Order with signature of the court.	Office action taken with date
1	2	3	4
	18.07.2023	<p style="text-align: center;"><b><u>आदेश</u></b></p> <p>प्रस्तुत अपील न्यायालय भूमि सुधार उप समाहर्ता, बनमनखी, पूर्णिया द्वारा BLDR वाद सं०-88/2012-13 में दिनांक-21.06.2013 को पारित आदेश के विरुद्ध दायर किया गया है।</p> <p>अपीलार्थी अनुपस्थित। उत्तरवादीगण की उपस्थिति है। उत्तरवादीगण के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि अपीलार्थी लंबे समय से अनुपस्थित चले आ रहे हैं। अभिलेख का अवलोकन किया। अवलोकनोपरांत यह स्पष्ट है कि अपीलार्थी दिनांक-08.08.2022 से लगातार अनुपस्थित चले आ रहे हैं। दिनांक-09.05.23 को अपीलार्थी को अंतिम अवसर प्रदान करते हुए उन्हें अपना पक्ष रखने का निदेश दिया गया था, किन्तु अपीलार्थी सुनवाई में अनुपस्थित रहे। चूँकि प्रस्तुत मामला 10 वर्षों से विचाराधीन लंबित है। अपीलार्थी की लंबे समय से लगातार अनुपस्थिति से स्पष्ट है कि उन्हें प्रस्तुत वाद के निष्पादन में कोई रुचि नहीं रह गई है। वाद को अनावश्यक लंबित रखना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है।</p> <p>अतः अपीलार्थी की लगातार अनुपस्थिति एवं वाद के निष्पादन की अभिरुचि के आभाव में प्रस्तुत वाद को "प्रमाद में खारिज" (Dismissed for default) किया जाता है। इसी के साथ वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है। आदेश की प्रति के साथ निम्न न्यायालय मूल अभिलेख वापस भेजें। लेखापित एवं शुद्धित।</p> <p style="text-align: center;">आयुक्त, पूर्णियाँ प्रमंडल, पूर्णियाँ।</p> <p style="text-align: center;">आयुक्त, पूर्णियाँ प्रमंडल, पूर्णियाँ।</p>	

--	--	--	--

*Web Copy. Not Official.*